



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी अनिल को हुई 05 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अनिल पुत्र जगदीश निवासी ग्राम मलकपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 1191/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 18.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अनिल पुत्र जगदीश को हुई 05 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 18.10.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 03 खोखा कारतूस, करीब 6.5 क्विंटल प्रतिबन्धित पशु का मांस तथा घटना में प्रयुक्त एक महिन्द्रा पिकअप नं0 DL-1 LAL-1964 बरामद ।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के



अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 03 खोखा कारतूस, करीब 6.5 क्विंटल प्रतिबन्धित पशु का मांस तथा घटना में प्रयुक्त एक महिन्द्रा पिकअप नं0 DL-1LAL-1964 बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 347/24 धारा 109 बीएनएस व 3/5/5A/8 गौवध अधिनियम तथा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-चाँद पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी नई अशोक नगर थाना अशोक नगर दिल्ली ।
- 2-सदाम पुत्र अलाउद्दीन निवासी जे0जे0 कॉलोनी थाना सेक्टर-20 नोएडा ।

बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 03 खोखा कारतूस ।
- करीब 6.5 क्विंटल प्रतिबन्धित पशु का मांस ।
- घटना में प्रयुक्त एक महिन्द्रा पिकअप नं0 DL-1LAL-1964

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्र0नि0 श्री कैलाशचन्द्र थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना खेकडा बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 यूटी नितिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 516 सतेन्द्र गिरि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 292 सिराज थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 330 प्रवीण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 530 धर्मेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 9-है0का0 652 प्रदीप कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 10- है0का0 643 सचिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 11-का0 978 पुनीत कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 12-का0 164 नितिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 13- का0 250 कोमल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनाँक 18.10.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुधीर पुत्र पांची निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री सत्यवीर परमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-है0का0 313 मनीष कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 18.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-पवन कुमार पुत्र बाबूराम निवासी निवासी ग्राम ठिकाना थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-दीपक पुत्र ओमपाल निवासी खेडा हटाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 151 संदीप दहिया थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 306 राजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 18.10.24

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टे की खाईबाडी करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके 01 पैस 01 सट्टा पर्चा व 380 रूपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईबाडी करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके 01 पैस 01 सट्टा पर्चा व 380 रूपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 286/24 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आजाद उर्फ बबलू पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 पैस ।



- 01 सट्टा पर्चा ।
- 380 रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्य थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.का0 454 जितेन्द सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

